

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम.....

किस्म मुकदमा..... न..... सन्.....

--	--

6-3-78 फावली गेरा डुई, कमील परकार हाजिर 1/10 साख बाहर
 पक्षा है सिद्ध दिनांक 12-4-18 के पक्ष है।

12-4-18 राजस्व लॉक अकाम
 न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के तहत
 राजस्व कम्प में राजीनामा दिनांक 1-05-18
 का.पं. ~~10/3/18~~ के तहत है।
 अहकाम अधिकारी
 स.पं.

1-5-78 फावली बोन-बदल केका डेल्टा विडल के पेश डुई,
 जवाब परकार तरुल डुई, ललिकमी अवाधी सं. 5 हाजिर
 सुना गया। साथ चॉलेकाई सी जवाधी सं. 2068-71 के
 खाल है। तथा -बुराना 193-178 खसरा नम्बर 185
 नम्बर 19-03-10 कीका परकार सिंह कलु बुद्ध सिंह
 1/2 हिस्, आँकार सिंह, कलका सिंह कलु शंकर सिंह 1/2
 हैं। लक्ष्मीण ने लक्ष्मीण प्र तरुल पर लिखन
 दिया है कि लक्ष्मीण का लक्ष्मीण प्र स्वीकार
 करवा दिया जाये का लिखन दिया कि
 बुरल वाड डे निरुपण तड अवाधी सं. 5 डे फिकरु
 अस्थावी लिखे धार्या जारी की जाते कि अवाधी सं.
 5 उरुडे दिशलेट लिखिपि आदि लक्ष्मीण प्र के लक्ष्मीण
 धारणी है लक्ष्मीण के बेदखल न करे। लक्ष्मीण
 की मन्ने गुदा आवाधी पर जबरन कब्जा नहीं
 करे। न कब्जाली नहीं करे, ऐसा करे कार्य नहीं करे
 लिससे लक्ष्मीण, उरुत आवाधी सं. बेदखल नहीं करे।
 लक्ष्मीण लक्ष्मीण कब्जा होने का कोई कोल
 अवाधी गेरा नहीं का पाये है तथा नम्बर
 दिनांक से अवाधी सं. 5 का फिली की कलु के न्याय करे

का.पं.पं.

नहीं है न ही उसका कब्जा करके होने की वृत्त दस्तावेज
 प्रेश नहीं मिले हैं। अतः तारीख का ही कार्यना प्रच चलेने योग्य
 नहीं है, खारिज मिले जाने योग्य है अतः कार्यना प्रच हट
 अधिकार का निर्णय नहीं है। हट अधिकार का प्रच मूल
 पत्र में रच होगा। कार्यना प्रच अस्थाई निर्णयान्त डेजरीसे
 अस्थाई से 5 को प्रच डेजरीसे का तारीख हट कर नहीं है।
 अतः तारीख का कार्यना प्रच सारणीन होने से खारिज
 मिया जात है। खारिज करिडेन अपना अपना वचन करे।

आदेश शुद्ध न्यायालय अटल सेवा के डेजरीसे
 में सरे इलास सुनाया गया।

सचिव ^{पुलक} सिविल

अध्यक्ष

लोक अदालत सिविल
 सरवाड़ (अजमेर)

लोक अदालत सिविल
 सरवाड़ (अजमेर)